

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: हनुमान सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 113/2021

उनवान

1. श्रीमती कान्ता कुंवर पत्नी स्व. श्री नरपत सिंह, जाति राजपूत चुण्डावत, निवासी वखतपुरा, पटवार हल्का मादलदा, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
2. दिलीपसिंह पिता स्व. श्री नरपत सिंह, जाति राजपूत चुण्डावत, निवासी वखतपुरा, पटवार हल्का मादलदा, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
3. स्व. विक्रमसिंह पिता स्व. श्री नरपत सिंह, जाति राजपूत चुण्डावत, निवासी वखतपुरा, पटवार हल्का मादलदा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा के वारिसान:-
 - 3/1. कुलदीप सिंह पिता स्व. विक्रमसिंह, जाति राजपूत चुण्डावत, निवासी वखतपुरा, पटवार हल्का मादलदा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
 - 3/2. श्रीमती मोहन कुंवर पत्नी स्व. विक्रमसिंह, जाति राजपूत चुण्डावत, गा. निवासी वखतपुरा, पटवार हल्का मादलदा, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
4. सोहन सिंह पिता स्व. नरपतसिंह, जाति राजपूत चुण्डावत, निवासी वखतपुरा, पटवार हल्का मादलदा, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।

—: प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।

—: अप्रार्थी


प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 15.9.2021

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य व खाते की कृषि भूमि गांव वखतपुरा, पटवार हल्का मादलदा, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा राजस्थान में खाता सं. 188 (नई) 162 (पुरानी) के कुल खेत 11, कुल रकबा 0.84 हे0 स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण को पैतृक कृषि भूमि होने से प्राप्त हुई है। पूर्व में उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण के दादा स्व. छगन पुत्र दलपत सिंह से प्राप्त हुई है तथा स्व. छगन को उसके पिता दलपत सिंह पुत्र रतन सिंह, जाति राजपूत, निवासी वखतपुरा से प्राप्त हुई है एवं उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण को पारिवारिक बंटवारा होने से उसके खाते में दर्ज रेकॉर्ड हुई है। उक्त कृषि भूमि मूल खातेदार स्व. दलपत सिंह पिता रतन सिंह, जाति राजपूत के नाम से मौजा वखतपुरा, परगना गढ़ी, तहसील गढ़ी, रियासत बांसवाड़ा में सन् 1945 में खाता सं. 57 के सर्वे नम्बर 175, 761, 833, 1109 तथा 1110 दर्ज रेकॉर्ड थी तथा दलपत सिंह की मृत्यु के बाद उक्त कृषि भूमि दलपत सिंह के दो वारिस छगन व देवू के नाम दर्ज रेकॉर्ड हुई एवं छगन व देवू की मृत्यु के बाद उसके वारिसान जिसमें छगन के पुत्र नरपत सिंह, जयसिंह, विजयसिंह के नाम दर्ज हुई है एवं श्री देवू की मृत्यु के बाद उसके पुत्र अर्जुन सिंह व दर्जन सिंह के नाम दर्ज हुई है। स्व. श्री दलपत सिंह की वंशावली निम्नानुसार है:-

दलपत सिंह पिता रतन सिंह



उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

स्व. श्री दलपत सिंह मूल पुरुष के खाते में जाति राजपूत दर्ज रेकॉर्ड थी, परन्तु दलपत सिंह की मृत्यु के बाद छगन व देवु जब खाता दर्ज रेकॉर्ड हुआ तो राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि व सेहवन से जहां राजपूत दर्ज होनी थी उस स्थान पर हजुरी जाति अंकित कर दी गई है जो गलत है एवं मृतक छगन व देवु की मृत्यु के बाद उनके वारिसान में आपस में बंटवारा होने से सभी वारिसान के खाते अलग अलग दर्ज रेकॉर्ड हुए हैं जिसमें भी जाति हजुरी अंकित कर दी है जो कि गलत है एवं प्रार्थीगण, स्व. छगन मूल खातेदार के पुत्र नरपत सिंह के वारिसान व उत्तराधिकारी हैं एवं स्व. नरपत सिंह के पुत्र विक्रमसिंह की मृत्यु हो चुकी है तथा प्रार्थी सं. 3/1 व 3/2 स्व. विक्रमसिंह के वारिस होने से विक्रमसिंह के स्थान पर मालिक बने हैं तथा उसके नाम से उक्त पेरा संख्या 01 में बताई गई कृषि भूमि खाता दर्ज रेकॉर्ड हुआ है उसमें भी जाति हजुरी अंकित कर दी है। इस कारण प्रार्थीगण को अपने खाते में जाति राजपूत अंकित कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हो गया है, क्योंकि वास्तव में प्रार्थीगण मूल पुरुष दलपत सिंह के वारिसान हैं तथा दलपत सिंह के मूल खाते में भी जाति राजपूत अंकित है, परन्तु दलपत सिंह की मृत्यु के बाद सेहवन से खाते में जाति हजुरी अंकित कर दी गई है, इसलिये प्रार्थीगण को खाते में अपनी जाति के संबंध में शुद्धिकरण कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक होने से उक्त प्रार्थना-पत्र पेश हुआ।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी के नाम सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थी के पिता से पेत्रक भूमि प्राप्त होकर भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पूर्वज की जाति राजपूत दर्ज रेकॉर्ड थी। तथा वर्तमान रेकॉर्ड में प्रार्थी की जाति हजुरी दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी की हजुरी के स्थान पर राजपूत किया जाना अवगत कराया।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, भू-प्रबन्ध विभाग की खतौनी संवत् 1945-48, ग्राम पंचायत वखतपुरा द्वारा जारी वंशावली, आधार कार्ड, आदि की छाया प्रतियों एवं भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन करने एवं प्रार्थी अभिभाषक की बहस पर मनन करने के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि पटवार हल्का मादलदा के मौजा वखतपुरा की जमाबन्दी संवत् 2075-2078 की खाता संख्या 188 (नई) 162 (पुरानी) में दर्ज जाति हजुरी के स्थान पर राजपूत किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर पटवार हल्का मादलदा के मौजा वखतपुरा तहसील गढ़ी की जमाबन्दी संवत् 2075-2078 की खाता संख्या 188 (नई) 162 (पुरानी) में दर्ज जाति हजुरी के स्थान पर राजपूत बाकि बदस्तुर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.9.2021 को सुनाया गया।

(हनुमान सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी

गढ़ी
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा